

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2014

का.आ. _____ (अ).- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 घ की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्तरिक्ष विभाग की अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अधिसूचित करती है।

अधिसूचना सं० 6 /2014(फा.सं. 149/97/2013-टी.पी. एल.)

आरजू 15/1/14
(आरजू गरोड़िया)
अवर सचिव, (टी.पी.एल.)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,

PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

[Central Board of Direct Taxes]

INCOME-TAX

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2014

S.O. _____(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 80D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Contributory Health Service Scheme of the Department of Space for the purposes of the said clause for the assessment year 2014-15 and subsequent assessment years.

[Notification No. 6 /2014 (F. No. 149/97/2013 -TPL)]

Ms. Relke
L
15/1/14

Arju Garodia
(Arju Garodia) 15/1/14
Under Secretary (TPL)